

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
डालचंद पुत्र जगरूप जाति मेवाडकलाल
निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा उदयपुर वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/ 782
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
24/12 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 1489, 1493, 1494 कुल रकबा 1.3900 हैक्टर किस्म जाव अब्बल कुल लगान 19.4600 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, मुण्डारा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
सहायक काश्तकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
डालचंद पुत्र जगरूप जाति मेवाडकलाल
निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा उदयपुर वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 782
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्ई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन अनुसार अनुसार ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 1489, 1493, 1494 कुल रकबा 1.3900 हैक्टर किस्म जाव अब्बल कुल लगान 19.4600 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का मुण्डारा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।


बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/12/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली



प्रकाश
ग्राम मुण्डरा खसरा नंबर 1489, 1493, 1494 रकबा 13900



क्रम संख्या	खातेदार का नाम	रंग	हस्ताक्षर
1.	डालचंद पुत्र जगन्प जाति- मवाडकलाल		
2.	प्रकाश कुमार माली पुत्र सोहनलालजी जाति- माली		
	मनीष माली पुत्र सोहनलालजी जाति- माली		
	मोतीदेवी माली पत्नि सोहनलाल जाति- माली		
	रतनलाल माली पुत्र सोहनलालजी जाति- माली		

दीक्षितसिंह राठौड़
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल (भू.अ.)
तह.वाली, जिला - पाली

हस्ताक्षर भू.अ. वि.
ICR Mundara

हस्ताक्षर तहसीलदार

तहसीलदार (भू.अ.) वाली